

न्यायालय / कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

जनपद जौनपुर में क्रियाशील दण्डिक न्यायालयों में सीनियर डिविजन संवर्ग के अधिकारियों के इस जनपद से स्थानान्तरण एवं जूनियर डिविजन संवर्ग के न्यायिक अधिकारी के अन्य जनपद से आगमन एवं पद भार ग्रहण करने के उपरांत दण्डिक न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध व्यवस्था :-

धारा 15 (2) द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जनपद जौनपुर में कार्यरत दण्डिक न्यायालयों के कार्य व अधिकारिता के सम्बन्ध में पूर्व में पारित आदेशों का अतिक्रमण करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जौनपुर से विचार-विमर्श करने के उपरान्त निम्न व्यवस्था अग्रिम आदेश तक की जाती है:-

(1)- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर

- 1- जनपद जौनपुर से सम्बन्धित जघन्य अपराध धारा-302, 304 व 304 बी., 396, भा0द0स0 के अन्तर्गत दण्डनीय पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 2- पुलिस कर्मचारियों / सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद तथा अन्य विभागों के राजपत्रित अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद तथा उक्त से सम्बन्धित धारा 156 (3) द0 प्र0 स0 से सम्बन्धित आवेदन पत्र, संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 3- इस जनपद से सम्बन्धित आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक द्वारा समस्त चालानी वाद, सिनेमा ऐक्ट, रेलवे ऐक्ट, गन्ना अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, शाप ऐक्ट, धारा 34 पुलिस ऐक्ट, कीटनाशक ऐक्ट, मण्डी अधिनियम, फौवट्री ऐक्ट, कापीराइट ऐक्ट, न्यूनिसमल ऐक्ट, सूगर भिना अधिनियम व अन्तर्राज्यीय कर्मकार अधिनियम, श्रम अधिनियम से सम्बन्धित अन्य वाद, चातायात चालानी, स0 आर0 टी0 ओ0 चालानी (टैक्स छोडकर) उपरोक्त सभी वाद संस्थित एवम् विचारित होंगे।
- 4- नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित समस्त अपील को सुनवाई होगी।
- 5- थाना कोतवाली से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 6- थाना लाईन बाजार एवं महिला थाना से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 7- थाना सरायख्वाजा से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
8. थाना मछलीशहर से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(2)- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट नं0 12

- 1- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुरूप जनपद जौनपुर के समस्त आर्थिक अपराध, संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 2- ए0आर0टी0ओ0चालानी, (टैक्स से सम्बन्धित) संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 3- थाना मडियाहूँ से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 4- थाना जलालपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 5- थाना खेतासराय से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवम् विचारित होंगे।
- 6- थाना जी0 आर0 पी0 से सम्बन्धित पुलिस चालानी व परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे।
- 7- थाना रामपुर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(3)- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय कोर्ट नं0 14

- 1- थाना केराकत के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 2- थाना सरपतहॉ के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 3- थाना सिंगरामउ के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
4. थाना पवारा के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 5- सम्पूर्ण जनपद के गोबध निवारण अधिनियम एवं पशुछूरता अधिनियम से सम्बन्धित वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।

(4)- न्यायालय सिविल जज एस.डी./ एफ.टी.सी./ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर।

1. थाना नेवढिया से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
2. थाना बरसठी से सम्बन्धित पुलिस चालानी संस्थित एवं विचारित होंगे ।

(5)- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट नं0 17

- 1- थाना गौराबादशाहपुर के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 2- थाना सुजानगंज के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 3- थाना चन्दवक के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 4- थाना महाराजगंज से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी संस्थित एवं विचारित होंगे ।

(6)- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कोर्ट नं0 18

- 1- थाना मीरगंज के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 2- थाना सुरेरी के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।
- 3- थाना बक्शा के समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद वाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।

(7)- न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0) प्रथम/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

- थाना कोतवाली से सम्बन्धित समस्त परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे ।

(8)- न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0) द्वितीय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

- थाना सिकरारा से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद की सुनवायी की अधिकारिता वापस लेते हुए विधितः निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वितीय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को प्रदत्त की जाती है जो अभी तक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहां संस्थित एवं विचारित हो रहे थे ।

(9)- न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0) तृतीय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

- थाना शाहगंज से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद की सुनवायी की अधिकारिता वापस लेते हुए विधितः निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) तृतीय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को प्रदत्त

की जाती है जो अभी तक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहां संस्थित एवं विचारित हो रहे थे।

(10)-न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) चतुर्थ / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना जफराबाद से सम्बन्धित समस्त परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे एवं थाना जफराबाद से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद की सुनवायी की अधिकारिता वापस लेते हुए विधितः निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) चतुर्थ / न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाती है। जो अभी तक अपर सिविल जज एस.डी. प्रथम / ए.सी.जे.एम. के न्यायालय में संस्थित एवं विचारित हो रहे थे।

(11)-न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) पंचम / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना मुगराबादशाहपुर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद की सुनवायी की अधिकारिता वापस लेते हुए विधितः निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) पंचम / न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाती है। जो अभी तक ए.सी.जे.एम. द्वितीय के न्यायालय में संस्थित एवं विचारित हो रहे थे।

(12)- न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०) सप्तम / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना सरायख्वाजा से सम्बन्धित समस्त परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे तथा थाना खुटहन से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं परिवाद की सुनवायी की अधिकारिता वापस लेते हुए विधितः निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) सप्तम / न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाती है। जो अभी तक ए.सी.जे.एम. द्वितीय के न्यायालय में संस्थित एवं विचारित हो रहे थे।

(13)- न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०) न्यू कोर्ट द्वितीय / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना रामपुर व बरसटी से सम्बन्धित समस्त परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(14) न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०) न्यू कोर्ट तृतीय / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना मछलीशहर से सम्बन्धित समस्त परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे तथा थाना बदलापुर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी की सुनवायी की अधिकारिता वापस लेते हुए विधितः निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यू कोर्ट नम्बर 3 / न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाती है। जो अभी तक अपर सिविल जज एस.डी. प्रथम / ए.सी.जे.एम. के न्यायालय में संस्थित एवं विचारित हो रहे थे।

(15)- न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ.टी.सी. / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना बदलापुर व भहराजगंज से सम्बन्धित परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(16)- न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) महिलाओं के विरुद्ध अपराध / न्यायिक मजिस्ट्रेट

थाना लाइनबाजार से सम्बन्धित समस्त परिवाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(17)- ग्राम न्यायालय शाहगंज / न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर

उक्त तहसील के अन्तर्गत निहित सम्बन्धित थानों के समन्वित
आपराधिक वाद एवं घरेलू हिंसा के वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(18)- ग्राम न्यायालय केराकत / न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर

उक्त तहसील के अन्तर्गत निहित सम्बन्धित थानों के समन्वित
आपराधिक वाद एवं घरेलू हिंसा के वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(19)- ग्राम न्यायालय मछलीशहर / न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर

उक्त तहसील के अन्तर्गत निहित सम्बन्धित थानों के समन्वित
आपराधिक वाद एवं घरेलू हिंसा के वाद संस्थित एवं विचारित होंगे।

(20)- न्यायालय विशेष न्यायिक मजि0 प्रथम जौनपुर

मजिस्ट्रेट न्यायालयों से सम्बन्धित लम्बित पेटी वादों को समय-समय
पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तरित किये जाने के उपरान्त ऐसे वादों
का विधित: निस्तारण किया जायेगा।

(21)- न्यायालय विशेष न्यायिक मजि0 द्वितीय जौनपुर

मजिस्ट्रेट न्यायालयों से सम्बन्धित लम्बित पेटी वादों को समय-समय
पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तरित किये जाने के उपरान्त ऐसे वादों
का विधित: निस्तारण किया जायेगा।

(22)- न्यायालय विशेष न्यायिक मजि0 तृतीय जौनपुर

मजिस्ट्रेट न्यायालयों से सम्बन्धित लम्बित पेटी वादों को समय-समय
पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तरित किये जाने के उपरान्त ऐसे वादों
का विधित: निस्तारण किया जायेगा।

द्वारा 396 भा0द0रां0 व गंभीर अपराधों से सम्बन्धित पुराने वादों की
अग्रोत्तर कार्यवाही/ विचारण लम्बित सम्बन्धित न्यायालय द्वारा ही किया
जायेगा।

धारा 164 द0 प्र0 रा0 के अन्तर्गत होने वाले बयान न्यायिक
मजिस्ट्रेट/अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा तिथिबद्ध किये जाने के उपरान्त उरफका
अनुरक्षण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को प्रदत्त गंभीर आपराधिक
मागलों की अधिकारिता के अलावा, थानों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले
न्यायालयों द्वारा किया जायेगा एवं पूर्व से अनुरक्षित बयान थाना से
सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को प्राप्त कराया जाय।

उपरोक्त व्यवस्था से सम्बन्धित वाद, सम्बन्धित न्यायालय/ कार्यालय
द्वारा सूची तैयार करते हुये तत्सम्बन्धित को प्राप्त कराया जाय तथा एक
प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भी प्राप्त करायी जाय।

उक्त व्यवस्था माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जौनपुर को
अवलोकन/अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित की जाय। अनुमोदन के उपरान्त ही
उक्त व्यवस्था दिनांक 13.07.2022 प्रभावी होगी।

दिनांक-08.07.2022

(प्रबोध कुमार वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय जौनपुर को सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
3. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, जौनपुर।
4. अध्यक्ष/मन्त्री दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर।
5. सम्बन्धित को अनुपालन हेतु।
6. कम्प्यूटर अनुभाग।

Approved.

D J
Jaunpur
08-07-22

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जौनपुर।

न्यायालय--मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० ११, जौनपुर।

क्षेत्राधिकारी सदर जनपद जौनपुर द्वारा पत्र प्रेषित करके अवगत कराया गया है कि थाना महाराजगंज, मछली शहर, सिकरारा व नक्शा के कुछ क्षेत्रों को काटकर नवसृजित थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर में स्थापित किया गया है। वर्तमान में तेजीबाजार थाने पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को आवंटित किये जाने का अनुसंध किया गया है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी, एवं परिवाद के संस्थित एवं विचारण की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय सदर सिविल जज (जू०डि०) न्यू कोर्ट नं० २ को प्रदत्त की जाती है।

उक्त व्यवस्था माननीय जनपद न्यायाधीश के अवलोकन / अनुमोदन के उपरांत लागू होगी।

Raj
15-10-22
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
- 3- जिला कारागार अधीक्षक, जौनपुर।
- 4- उद्देश्य, वार एसोसिएशन, सीवान्नी न्यायालय जौनपुर।
- 5- अनुक्त निर्देशक अभियोजन जौनपुर।

Approved by: *सक्षम क्षेत्राधिकारी जौनपुर*

D.J
Jainpur
15-10-22..

Respectfully
seen
17/10/22